# न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 41/2018 जिला भीलवाड़ा

श्री जेठू पुत्र माधू गोद पुत्र नन्दा जाति दरोगा, निवासी ग्राम माली खेड़ा, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांट

बनाम्

1. श्री राकेश कुमार पुत्र सुर्यप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. रामकरण पुत्र रामसुख जाति सोमाणी, निवासी ग्राम शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा।
3. कल्याण पुत्र मोहन
4. घीसू पुत्र नाथू
5. कंचन पत्नि नाथू

समस्त जाति दरोगा, निवासी ग्राम माली खेड़ा , तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

6. सत्यनारायण पुत्र सीताराम
7. कान्तादेवी पत्नि जगदीश चन्द्र
8. बबली देवी पत्नि रतनलाल
9. विष्णुकुमार पुत्र बंशीलाल
10. गोपाल पुत्र जयराम

समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम चमनपुरा, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।

11. शंकर पुत्र माधू जाति दरोगा, निवासी ग्राम मालीखेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

— रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा दिनांक 17.04.2018 जो प्रकरण संख्या 07/2018 बउनवानी राकेश बनाम रामकरण में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री शोकिन्द गुर्जर(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभिभाषकः— श्री एम0एल0गुर्जर
राजकीय अभिभाषकः—श्री आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः—24.11.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चमनपुरा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा में रेस्पो0 1 राकेश कुमार पिता सुर्यप्रकाश द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआरएक्ट 1956 पत्थरगढ़ी कराने बाबत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा में प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि उसकी खातेदारी के खाता संख्या 268 में खसरा नम्बर 416,419,420,1447/416 कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि बाबत सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य विवाद होते रहते है। वह

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested

अपने खाते की भूमियों की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किया जायें।

उक्त आवेदन पत्र पर सुनवाई के बाद उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 07/2018 में दिनांक 17.04.2018 में निर्णय करते हुए आदेश सुनाया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधारों पर जेठू द्वारा प्रस्तुत की गई है—

1. सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा हमारी तामील बंद करवाकर नाम डिलीट करवा दिये गये है। नाम पते गलत अंकित किये गये। कोई सीमा विवाद मौके पर नहीं है। सिविल न्यायालय में हक व अधिकार बाबत प्रकरण वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0 1 के बीच विचाराधीन था तथा उक्त प्रकरण में सिविल न्यायालय में रेस्पो0 का कब्जा नहीं माना गया।

2. उपखण्ड अधिकारी के आदेश प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है।

3. अपीलांट जेठू पुत्र नन्दा की आराजी बाबत अवैध विक्रय पत्र को शून्य करने बाबत पत्रांक सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त दोनो पक्षो के मध्य माननीय एडीजे न्यायालय भीलवाड़ा—3 में प्रकरण संख्या 62/2010 जेठू बनाम शंकर में दिनांक 21.01.2014 को निर्णित किया है। जिसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण है तथा अवैध इंद्राज की दुरूस्ती बाबत प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा में दर्ज है। जिस पर निर्णय होना बाकी है। फिर भी उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा द्वारा जल्दबाजी में निर्णय किया गया है।

4. समरी कार्यवाही के माध्यम से अपीलांट से उसका कब्जा छिने जाने की कोशिश की जा रही है। अंत में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा के दिनांक 17.04.2018 को निरस्त किया जायें।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2018 का है। अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 15.04.2018 में प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 152 सीपीसी दिनांक 10.03.2022 को प्रस्तुत कर रेस्पो0 संख्या 2 के पते में संशोधन बाबत प्रार्थना की जो स्वीकर करते हुए उक्त संशोधन को स्वीकृति दी गई।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। स्थगन प्रार्थना पत्र में यह कहा गया है कि आदेश की पालना यदि नहीं रोकी गई तो अपीलांट को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। जिससे उसे भारी क्षति होगी। जिसकी पूर्ति करना अंसभव होगा तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट ने अपने पक्ष में बताया। उक्त प्रार्थना पत्र को प्रारंम्भिक सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तथा प्रकरण संख्या 7/2018 की न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 05.01.2018 से 17.04.2018 प्रस्तुत की। साथ ही रेस्पो0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की।

अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान वकील रेस्पोंडेंट ने बताया कि एस0डी0ओ0 बनेड़ा के यहां हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र लगाया गया था। हम खातेदार थे तथा प्र[illegible]ा पत्र पत्थरगढ़ी बाबत अन्तर्गत धारा 111, 128 प्रस्तुत किया गया था। आये दिन सीमा विवाद होता रहता है। जेठू को तामील हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested

थी। उसने अपना हक खसरा नम्बर 417 पर अपना हक  बताया जबकि हमारा जेठू व उसकी भूमि से कोई लेना देना नही है। पत्थरगढ़ी से कोई टाइटल नहीं मिलता है। अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दिया गया था उनकी ओर से। हमारी मांग सिर्फ पत्थरगढ़ी थी। मौका रिपोर्ट दिनांक 15.07.2015 की है। निर्णय दिनांक 17.04.2018 को हुआ। उक्त निर्णय की पालना हो चुकी है। अपील इन्फैक्सियस है।

वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि हम पत्थरगढ़ी के आदेश के विरूद्ध है। हमारी खातेदारी 1/2 में है तथा सैल डीड सिविल न्यायालय में पैंडिग है। मौके पर कब्जा साबित करने के लिए उनके द्वारा पत्थरगढ़ी करवायी गई थी। हमारा नाम डिलिट करवाया तथा पता जाति गलत लिखी गई। रेस्पो0 नम्बर 5 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जेठू खटीक न होकर जेठू दारोगा है तथा माली खेड़ा का निवासी है न कि चमनपुरा का। दिनांक 27.02.2018 को हमने रिप्लाई फाइल किया तथा दिनांक 17.04.2018 को रेस्पो0 1,5,7 के विरूद्ध कोई कार्यवाही न चाह कर ऐसा कहकर हमारे नाम डिलीट किये गये। अधिकार है या नहीं है अभी तय नहीं है। सैल डीड के खिलाफ जैठू गया है। राकेश हाईकोर्ट गया है। बहस बिन्दुओ पर मनन गया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रकरण 7/2018 राकेश कुमार बनाम रामकरण सोमानी का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण दिनांक 05.01.2018 को प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अगली पेशी दिनांक 27.02.2018 में जेठूसिंह उपस्थित हुआ है तथा उसकी ओर से जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। रेस्पो0 1 व 7 को तामील नही होने से उन्हें दुबारा नोटिस जारी करने के निर्देश न्यायालय द्वारा दिये गये। विपक्षी संख्या 5 की जाति गलत बताई गई। संशोधित प्रार्थना पत्र के निर्देश जारी किये गये तथा पत्रावली को दिनांक 17.04.2018 हेतु तय किया गया। मगर दिनांक 17.04.2018 को नियत दिवस पर राकेश कुमार द्वारा 1,5,7 के खिलाफ कोई कार्यवाही नही चाहता हूं यह बताया गया है। इसी दिनांक पर पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया।

जमाबंदी संवत 2069–72 ग्राम चमनपुरा के अनुसार खसरा नम्बर 416,419,420,1447/416 की भूमियां राकेश कुमार पुत्र सुर्यप्रकाश ब्राहम्ण के नाम खातेदारी में होना प्रकट होता है। अपीलांट जेठू खसरा संख्या 417/1 में अन्य लोगो के साथ 1/4 हिस्से का सहखातेदार है। यह जमाबंदी संवत 2073–77 ग्राम चमनपुरा से प्रकट होता है। वकील रेस्पोडेंट ने भी अपनी बहस में यह बताया है कि जेठू ने खसरा नम्बर 417 में अपना हक बताया है। लेकिन जेठू से उनकी भूमि का कोई लेना देना नहीं है। जेठू की अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर स्पष्ट रूप से तामील हुई है। रेस्पो0 1 राकेश कुमार ने पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय में जेठू को पक्षकार बनाया था। मगर बाद में रेस्पो0 नम्बर 1,5,7 पर कोई कार्यवाही राकेश कुमार द्वारा नहीं चाही गई। बाद में राकेश कुमार द्वारा अपने खातेदारी खसरा नम्बरों की पत्थरगढ़ी करवायी गई जो जमाबंदी रिकोर्ड से स्पष्ट है। वादी अपने प्रार्थना पत्र या वादपत्र का मालिक होता है वह चाहे जिसे पक्षकार बनाये या ना बनाये तथा चाहे जिसके विरूद्ध अनुतोष मांगे अथवा नही मांगे यह उसके उपर निर्भर करता है। वकील प्रार्थी के अनुसार चूंकि मौके पर पत्थरगढ़ी करवा दी गई है। अतएव अपील इन्फैक्सियस हो चुकी है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट ने द्वारा अपने खातेदारी की भूमियों की पत्थरगढ़ी करवायी गई थी इसकी पालना भी हो चुकी है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2018 में अब हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता शेष नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested

## क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा प्रकरण संख्या 07/2018 उनवानी राकेशकुमार बनाम रामकरण सोमानी एवं अन्य निर्णय दिनांक 17.04.2018 अन्तर्गत धारा 111,128 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह आदेश आज दिनांक 24.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested